अध्याय-17
श्रम सांख्यिकी

श्रम ब्यूरो के कार्य एवं संगठनात्मक ढ़ांचा

17.1 1946 में अपनी स्थापना से ही श्रम ब्यूरो अखिल भारतीय स्तर पर श्रम के विभिन्न पहलूओं पर श्रम आंकड़ों के संग्रहण, संकलन,विश्लेषण तथा वितरण में कार्यरत है । ये आंकड़े श्रम बल के विभिन्न खण्डों के कल्याण हेतु उचित नीतियाँ बनाने तथा उनकी स्थितियों के सुधार हेतु उचित उपाय सुझाने में सहायता प्रदान करते हैं । श्रम के विभिन्न नीति विषयों पर निर्णय लेना सुगम बनाते हैं । **ब्यूरो के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं ः-**

(i) औद्योगिक श्रमिकों; (ii) खेतिहर एवं ग्रामीण श्रमिकों; (iii) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित आवश्यक वस्तुओं के फुटकर मूल्य सूचकांक और (iv) मजदूरी दर सूचकांक आदि का संकलन एवं रख-रखाव ।

(ii) विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत प्राप्त संवैधानिक तथा स्वैच्छिक विवरणियों के आधार पर तथा आयोजित सर्वेक्षणों द्वारा श्रम के विभिन्न पहलूओं जैसे नियोजन, मजदूरी एवं उपार्जन, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण सुविधाओं, औद्योगिक संबंधों आदि पर संख्यिकीय सूचना का संग्रहण, संकलन तथा वितरण ।(ii) संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के श्रम संबंधी विषयों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र के कामगारों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों और विनिर्माण उद्योगों, खान, बागान तथा सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण पर अनुसaधान, अध्ययन एवं सर्वेक्षण आयोजित करना। अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण

सुविधाओं, औद्योगिक संबंधों आदि पर सांख्यिकीय सूचना का संग्रहण, संकलन तथा वितरण ।

(iii) संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों के श्रम संबंधी विषयों के साथ-साथ संगठित क्षेत्र के कामगारों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों और विनिर्माण उद्योगों, खान, बागान तथा सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण पर अनुसंधान, अध्ययन एवं सर्वेक्षण आयोजित करना ।

(iv) राज्य/संघ शासित प्रदेश के श्रम सांख्यिकीय कर्मचारियों तथा विभिन्न राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(v) श्रम क्षेत्र से संबंधित नियमित एवं तदर्थ प्रकाशन मंगाना ।

17.2 श्रम ब्यूरो के दो मुख्य स्कंध चण्डीगढ़ तथा शिमला में स्थित हैं और अहमदाबाद, कोलकाता,चेन्नई तथा कानपुर में इसके चार क्षेत्रीय कार्याय तथा मुंबई में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय है ।

श्रम ब्यूरो के मुख्य कार्य तथा उपलब्धियाँ

(I) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

17.3 ब्यूरो द्वारा नियमित आधार पर संकलित तथा रख-रखाव किए जा रहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का विवरण इस प्रकार हैः-

(क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (सी पी आई-आई डब्ल्यू) (आधार 2001=100)

17.4 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कामकाजी वर्ग जनसंख्या द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की निर्धारित मात्रा के खुदरा मूल्यों में समयोपरि सापेक्ष परिवर्तनों को मापता है, जिसका श्रम और रोजगार मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा

वर्ष 1943 से संकलन एवं रख-रखाव किया जाता है ।

17.5 इन सूचकांकों का प्रयोग मजदूरी के परिशोधन, परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ते का निर्धारण, मुद्रास्फीति के रूझानों तथा नीति-निर्माण को मापने के लिए किया जाता है । वर्ष 1999-2000 के दौरान कराए गए कामकाजी वर्ग के परिवारों की आय और व्यय संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर नई सीरीज के भारण आरेख तैयार किए गए । खपत मात्रा के अंतर्गत समूहों के सापेक्ष भारों को **तालिका 17.1** में दर्शाया गया है । नई सीरीज के अंतर्गत (आधारः2001=100) पर 78 केन्द्रों तथा अखिल भारतीय स्तर के लिए एक माह के समय अन्तराल पर जनवरी, 2006 से सम्मलित किया जाता है तथा प्रतिमाह ब्यूरो के मासिक जनरल दि इंडिया लेबर जरनल में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त, उन्हें ब्यूरो के वेबसाइट- www.labour bureau.gov.in पर डाल दिया जाता है ।

तालिका 17.1

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अधीन (2001=100 पर) वृहत् समूहों के लिए भार

समूह	**भार**
योजना	46.20
पान, सुपारी, तम्बाकू एवं नशील पदार्थ	2.27
ईंधन एवं बिजली	6.43
आवास	15.27
वस्त्र, बिस्तर एवं फुटवीयर	6.57
विविध	23.26
कुल	**100.00**

17.6 ब्यूरो औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधी एक वार्षिक रिपोर्ट भी निकालता है जिसमें औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की अलग-अलग स्तर पर महत्वपूर्ण जानकारी होती है । वर्ष 2005 के लिए, औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार ः1982=100 का वार्षिक रिपोर्ट तैयार एवं प्रकाशित

किया जाता है । औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मासिक परिवर्तनों से संबंधित तुलनात्मक विवरण **तालिका 17.1** में दिया गया है ।

(ख) ग्रामीण एवं कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई आर एल एल) (आधारः1986-87=100)

17.7 ग्रामीण श्रमिकों तथा उनके समकक्ष कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को आधार 1986-87=100 के आधार पर 20 राज्यों तथा अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिमाह संकलित किया जाता है । इन सूचकांकों का उपयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1998 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का परिशोधन एवं निर्धारण करने के लिए किया जाता है ।

17.8 मासिक सूचकांकों एवं मुद्रास्फीति की वार्षिक दर को तालिका 17.2 में दर्शाया गया है। कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (आधारः1986-87=100) को कैलेण्डर वर्ष 2004-2005 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है ।

(ग) शहरी क्षेत्रों में 31 आवश्यक वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक

17.9 वर्ष 1999-2000 के दौरान औद्योगिक कामगारों सहित नए कामकाजी वर्ग के पारिवारिक आय एवं व्यय संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर 31 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांक को प्रतिमाह संकलित किया जाता है जिसका उद्देश्य है चयनित वस्तुओं के दामों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निगरानी रखना तथा इन वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण/विनियमित करने के लिए समय पर उपचारी कार्रवाई करना है। इन सूचकांकों को प्रतिमाह उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजा जाता है। अक्तूबर,

2006 तक के सूचकांकों को संकलित एवं जारी किया गया है।

(घ) मकान किराये का पुनर्सर्वेक्षण

17.10 मुख्य कामकाजी वर्ग के पारिवारिक आय एवं व्यय सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, मकान किराये का पुनसर्वेक्षण, 78 केन्द्रों पर आधारः 2001=100 कराए गए हैं और 78 केन्द्रों के लिए 156 आवास सूचकांकों को प्रतिकेन्द्र प्रति दो सूचकांक की दर से संकलित किया गया है । 78 केन्द्रों से संबंधित 9वें दौर के लिए मकान किराया सूचंकांकों (सर्वेक्षण अवधि-जनवरी, 2006 से जून, 2006 तक) को भी आधार ः2001=100 के आधार पर संकलित एवं जारी किया गया ।

(ङ) मजदूरी दर सूचकांक

17.11 मजदूरी दर सूचकांकों को द्वितीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (1963-65) द्वारा भेजे गए आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है । ये सूचकांक आधार 1963-1965=100 के साथ एक निश्चित समय में मजदूरी दरों में पाए गए सापेक्ष परिवर्तनों को दर्शाते हैं । इन सूचकांकों को 21 चयनित उद्योगों के लिए तीन क्षेत्रीय था ः विनिर्माण, बागान और खनन में से संकलित किए जाते हैं । कवर किए गए उद्योगों का क्षेत्र वार विवरण तथा प्रत्येक क्षेत्र में कुल नियोजन के प्रति कवर किए गए श्रमिकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है ः-

क्षेत्र	**उद्योगों की संख्या**	**क्षेत्र में कुल नियोजन के प्रति सम्मिलित श्रमिकों का प्रतिशत**
विनिर्माण	14	67
बागान	3	100
खनन	4	95

17.12 मजदूरी दर सूचकांक का संकलन मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते पर आंकड़ों का प्रयोग करके किया जाता है जो कि भारत में संगठित

क्षेत्र में श्रमिकों की प्रत्याभूत तथा नियमित प्रकृति के उपार्जन है । मजदूरी दर सूचकांक का वर्ष 2002 तक संकलन किया जा चुका है तथा वर्ष 2003 के सूचकांक का संकलन प्रगति पर है । वर्ष 1999 से 2002 तक के लिए चयनित 21 उद्योगों में मजदूरी दर सूचकांक, निरपेक्ष मजदूरी दर तथा वास्तविक मजदूरी दर (1960 के मूल्यों पर) सूचना **तालिका 17.3** में दी गई है।

(II) संवैधानिक तथा स्वैच्छिक विवरणियां

17.13 श्रम ब्यूरो, श्रम के विभिन्न पहलुओं पर श्रम आंकड़ों का संग्रहण, संकलन एवं वितरण करता है जो कि विभिन्न श्रम अधिनियमनों के प्रावधानों के तहत विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक संवैधानिक विवरणियें तथा राज्य एवं केन्द्रीय श्रम विभागों द्वारा श्रम ब्यूरो को औद्योगिक विवादों, कामबंदी, अस्थायी छंटनी तथा छंटनी से संबंधित प्रतिमाह भेजे जाने वाली स्वैच्छिक विवरणियों पर आधारित होते हैं जैसा कि **तालिका 17.4** में दिया गया है ः

(III) फील्ड सर्वेक्षण तथा अध्ययन

17.14 आवधिक विवरणियों से संकलित आंकड़ें श्रम के क्षेत्र में आयोजन तथा नीति निर्धारण की सूचना संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं करते इसलिए श्रम आंकड़ों की उपलब्धता में अन्तर को पूरा करने के लिए ब्यूरो द्वारा (i)नियोजन,(ii) मजदूरी एवं उपार्जन तथा (iii) अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर आवधिक/तदर्थ सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं ।

महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों/अध्ययनों के ब्यौरे

(क) ग्रामीण श्रम जांच (आरएलई)

17.15 ग्रामीण श्रम जांच, ग्रामीण श्रमिकों के रहन-सहन एवं कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से नीतियों एवं कार्यक्रमों को परिशोधित करने में काफी सहायक हुए हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण श्रम जांच आंकड़े पंचवर्षीय आधार पर आयोजित इसके सामान्य नियोजन तथा बेरोजगारी एवं उपभोग व्यय सर्वेक्षणों के एक भाग के रूप में एकत्रित किए जाते हैं । ऐसा अन्तिम सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 से संबंधित हैं। ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलूओं जैसे ः (i) ऋणग्रस्ता (ii) उपभोग व्यय (iii) मजदूरी एवं उपार्जन तथा (iv) रोजगार एवं बेरोजगारी तथा (v) ग्रामीण परिवार संबंधी विभिन्न पहलूओं की सामान्य विशेषताओं पर रिपोर्टे निकालने हेतु इस सर्वेक्षण की उपलब्धियों पर रिपोर्टों के संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व श्रम ब्यूरो का है।

17.16 ग्रामीण श्रम जांच द्वारा एकत्रित उपभोग व्यय आंकड़ों को खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखलाओं के संकलन हेतु भारण आरेख तैयार करने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है । खेतिहर एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की वर्तमान सीरीज का भारण आरेख, आधार 1986-87=100 पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1983) के 38वें दौर में संकलित आंकड़ों से तैयार किया जाता है। खेतिहर एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी की दर को निर्धारित एवं परिशोधित करने के लिए किया जाता है । खेतिहर एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवम्बर, 2006 तक आधार 1986-87=100 पर 20 राज्यों एवं अखिल भारतीय स्तर पर अलग से संकलित एवं प्रकाशित किए गए ।

17.17 इस स्कीम के तहत, श्रम ब्यूरो 600 उदहारणीय गांवों से प्रतिमाह नियमित आधार पर 18 खेतिहर तथा गैर-खेतिहर व्यवसायों के मजदूरी दर आंकड़े भी संकलित करता हैं इन आंकड़ों का प्रयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन की सीमा सुनिश्चित करने हेतु भी किया जाता है । जुलाई, 1986 से 600 प्रतिदर्श गांवों से प्रतिमाह नियमित आधार पर 18 खेतिहर तथा गैर-खेतिहर व्यवसायों के मजदूरी दर आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। अक्तूबर, 2006 तक के मजदूरी दर आंकड़े इंडियन लेबर जनरल में संकलित एवं प्रकाशित किए गए । खेतिहर श्रमिक/ग्रामीण श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर उन्नयन के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर के आधार पर किया गया है और उसे सीएसओकेटीएसी के पास विचारार्थ भेजा गया है।

(ख) व्यवसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

17.18 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण वर्ष 1958-59 से आयोजित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य (i) अन्तः और अन्तर उद्योग मजदूरी विभिन्नताओं के अध्ययन, (ii) ब्यूरो द्वारा संकलित किए जा रहे मजदूरी दर सूचकांक के आधार के संशोधन तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु अपेक्षित आंकड़ों/सूचना उपलब्ध करवाना है ।

17.19 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का छठा चरण 2003 में आरम्भ किया गया इसमें 56 उद्योगों को शामिल किया गया । व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के इस चरण में चार सेवा क्षेत्र उद्योगों को प्रथम बार शामिल किया जा रहा है। चार सेवा क्षेत्रों अर्थात रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण तथा पोत एवं गोदी के आंकड़े एकत्र करने के लिए फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट लेखन का कार्य प्रगति पर है। तीन बागानों और एक चाय प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में फील्ड

सर्वेक्षण प्रगति पर है । ग्रामीण श्रम जांच, ग्रामीण श्रमिकों के रहन-सहन एवं कार्य-परिस्थितियों में सुधार लाने के उददेश्य से नीतियों एवं कार्यक्रमों को परिशोधित करने में काफी सहायक होते हैं ।

17.20 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के छठे चरण के अंतर्गत चार सेवा क्षेत्र उद्योगों के रिपोर्ट प्रकाशित किए गए हैं, तीन बागानों यथाः कॉफी, रबड़ एवं चाय बागान तथा एक चाय प्रसंस्करण उद्योग के सर्वेक्षण के छठे चरण का रिपोर्ट मुद्रणाधीन है तथा शीघ्र ही प्रकाशित की जाएंगी। चार खनन उद्योगों यथाः कोयला, मैंगनीज, तेल एवं लौह अयस्क तथा पांच वस्त्र उद्योगों जैसेः- सिल्क, सूती, जूट, ऊनी एवं सिंथेटिक उद्योगों के छठे चरण के व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही हैं ।

17.21 तीन बागानों यथाः कॉफी, रबड़ एवं चाय बागान तथा एक चाय प्रसंस्करण उद्योगों की रिपोर्ट मुद्रणाधीन है तथा शीघ्र प्रकाशित कर दी जाएंगी ।

(ग) ठेका श्रम सर्वेक्षण

17.22 ठेका श्रम सर्वेक्षण, विभिन्न उद्योग जिनमें ठेका श्रमिकों का प्रतिशत अधिक हो, में ऐसे श्रमिकों की समस्याओं की सीमा तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन करने हेतु आयोजित किए जाते हैं । इन सर्वेक्षणों के तहत रोजगार, मजदूरी एवं उपार्जन, कार्यकारी स्थितियों, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंधों पर सूचना एकत्रित, विश्लेषित तथा वितरित की जाती है ।

17.23 अब तक श्रम ब्यूरो ने 40 उद्योगों (चावल मिल, लौह अयस्क, पेट्रोलियम रिफायनरीज और तेल क्षेत्रों, भवन एवं निर्माण, लौह तथा इस्पात के 5 उद्योगों के पुनर्सर्वेक्षणों सहित) के 45 सर्वेक्षण किया है । 39 उद्योगों के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। वायु परिवहन के क्षेत्र में (अर्थात् 40

उद्योगों में) 45वें सर्वेक्षण के दौरान संकलित किए गए आंकड़ों पर कार्य किया जा रहा है तथा रिपोर्ट अन्तिम रूप में तैयार की जा रही है

(घ) श्रम के विभिन्न वर्गों का सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण

17.24 इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों तथा महिला श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर सर्वेक्षण तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर अध्ययन आयोजित करना है। अब तक श्रम ब्यूरो ने 9 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों के सर्वेक्षणों तथा महिला श्रमिकों के 19 सर्वेक्षणों तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के 25 मूल्यांकन अध्ययनों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। राजस्थान में स्टोन ब्रेकिंग तथा स्टोन क्रशिंग उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर सर्वेक्षण (25वां सर्वेक्षण) की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । खाद्य प्रसंसकरण उद्योग में कार्य पर रहे महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशा से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जा रही है । गुजरात के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिनमें वापी, बलसाड, नवसारी एवं सचिन शामिल हैं के अनुसूचित जनजाति कामगारों के फील्ड सर्वेक्षण का कार्य लगभग सम्पन्न होने को है ।

(ङ) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

17.25 श्रम ब्यूरो, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 के अंतर्गत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्तन, रोजगार, किए गए श्रम दिवस, सामाजिक सुरक्षा हित लाभ, अर्जन, श्रम मूल्य और उत्पादन के मूल्य के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का प्रसंसाधन और विकीर्णन के लिए जिम्मेदार है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य, अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्तन; अर्जन; रोजगार, श्रम

मूल्य और उत्पादन के मूल्य का एक व्यवस्थित डाटाबेस तैयार करना और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिक मूल्यों के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना है।

17.26 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर पूरा देश शामिल हैं । उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की कवरेज में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2ड (i) और 2ड (ii) के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों ओर बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की सेवा शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत बीड़ी और सिगार विनिर्माण प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए, ढांचे में आने वाले कारखानों को दो क्षेत्रों अर्थात जनगणना क्षेत्र और सैम्पल क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है । 2003-04 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए जनगणना क्षेत्र में न्यूनतम औद्योगिक रूप से विकसित 5 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 100 या अधिक कामगारों को नियाजित करने वाले सभी कारखाने और वे कारखाने जिन्हें संयुक्त विवरणियां प्रस्तुत करने के रूप में घोषित किया है जनगणना क्षेत्र में शामिल हैं। जनगणना क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई इकाइयों को सैम्पल क्षेत्र में शामिल किया गया है।

17.29 वर्ष 2000-01 , 2001-02 और 2002-03 के लिए जनगणना और प्रतिदर्श क्षेत्र के उद्योगों के लिए संयुक्त तुलनात्मक श्रमिक सांख्यिकीय आंकड़े **तालिका 17.2** में दर्शाए गए हैं ।

(च) अनुसंधान

17.30 लोक सभा की प्राक्कलन समिति की 88 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर चुनिंदा समस्याओं पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से श्रम

ब्यूरो में जून 1963 में एक लघु सैल का गठन किया गया । इस सैल द्वारा (i) महिला श्रम पर सांख्यिकीय प्रोफाइल; और (ii) भारतीय श्रम अनुसंधान का सार-संग्रह नामक दो प्रकाशन जारी किए गए। महिला श्रम पर सांख्यिकी प्रोफाइल प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य महिला श्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को एक स्थान पर उपलब्ध करवाया है। भारतीय श्रम अनुसंधान का सार-संग्रह प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य एक निर्धारित समय के दौरान श्रम के क्षेत्र में भारत में किए गए अनुसंधान कार्य से संबंधित व्याख्यात्मक संदर्भिका उपलब्ध करवाना है। 1998-2003 की अवधि के लिए आठवां संस्करण मुद्रित हो चुका है ।

(IV) श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण

17.31 सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रवाह में गुणवता तथा सामयिकता में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों एवं केन्द्रीय संगठनों के अधिकारियों को ब्यूरो श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ब्यूरो ने 1-6 सितम्बर, 2006 में श्रम सांख्यिकी में 44वे ंकेन्द्रीय प्रशिक्षण पाठय़क्रम का आयोजन किया । जिनमें विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ओर केन्द्रीय विभागों के 28 अधिकारियों ने भाग लिया। 8-12 सितम्बर, 2006 तक मूल्य संग्राहकों/पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । कुल 45 प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया । वित्त मंत्रालय द्वारा नामित किए गए भारतीय आर्थिक सेवा के प्रशिक्षार्थी अधिकारियों (37वें बैच) के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 25.9.2006 से 29.9.2006 तक आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रयासों में श्रम ब्यूरो ने पहली बार भारतीय सांख्यिकी सेवा के उच्च अधिकारियों के लिए 9-13 अक्तूबर, 2006 तक एक भुगतान पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । प्रशिक्षण कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षण केन्द्र, कोलकाता में प्रतिभागियों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं । इन प्रतिभागियों को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली द्वारा नामित किया जाता है । इस वर्ष यह कार्यक्रम शिमला में 13 से 15 नवम्बर, 2006 तक आयोजित किया गया जिसमें 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया । महाराष्ट्र श्रम संस्थान, मुंबई के एक प्रशिक्षार्थी दल को भी श्रम ब्यूरो, शिमला में 20 नवम्बर, 2006 को प्रशिक्षण किया गया तथा 16 प्रतिभागियों ने बैठक में भाग लिया।

\

(v) प्रकाशन :

17.30 सांख्यिकीय अनुसंधान कार्यों, अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों के आधार पर ब्यूरो कई प्रकाशन निकालता है । वर्ष 2005 के दौरान निकाले गए प्रकाशनों की सूची **तालिका 17.5** में दी गई है।

******